POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 01.02.2025

1. थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा घरों में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से ए0सी0, सोने चाँदी के आभूषण, कीमती वस्त्र, भारतीय मुद्रा, विदेशी मुद्रा, घटना में प्रयुक्त टैम्पो व चोरी करने में प्रयुक्त उपकरण छैनी, हथौडा व सब्बल बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **01.02.2025** को **थाना बीटा-2 पुलिस** टीम द्वारा गोपनीय सूचना की सहायता से घरों में चोरी करने वाले 04 अभियुक्त 1.विन्शू पुत्र देशराज 2.राशिद पुत्र अयूब खान 3.सचिन कुमार पुत्र स्व0 शिव नारायण 4.अशोक कुमार पुत्र रामदास कुमार को आशियाना गोल चक्कर गामा-1 थाना क्षेत्र बीटा 2 से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी का सामान- ए0सी0, सोने-चाँदी के आभूषण, कीमती वस्त्र, भारतीय मुद्रा, विदेशी मुद्रा, घटना में प्रयुक्त टैम्पो व चोरी करने में प्रयुक्त उपकरण छैनी, हथौडा व सब्बल बरामद किया गया है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्तगण शातिर किस्म के चोर हैं, जिनका एक गिरोह है। इस गिरोह का सरगना विन्शू है तथा सचिन कुमार, अशोक कुमार व राशिद इस गिरोह के सदस्य हैं जो मूल रूप से हमीरपुर, फतेहपुर व सम्भल जिले के रहने वाले है। यह लोग दिन के समय राज मिस्त्री/मजदूर बनकर सोसाइटियों/कालोनियों में जाकर बंद पडे मकानों की रैकी करते हैं व मौका पाकर रात्रि में बंद पडे मकान के पास ऑटो ले जाकर चोरी की घटनाएं कारित कर चोरी किये गये सामान को पारिवारिक मजबूरी बताकर बेचकर अवैध धन अर्जित करते हैं। अभियुक्तों के द्वारा ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में भिन्न-भिन्न स्थानों पर करीब आधा दर्जन चोरी की घटनाओं अंजाम दिया गया है।

अभियुक्तों का विवरण--

1. विन्शू पुत्र देशराज निवासी ग्राम ठिठौरा थाना जमिया, जिला फतेहपुर।
2. राशिद पुत्र अयूब खान निवासी गांव सैमरी थाना रजपुरा, जिला सम्भल।
3. सचिन कुमार पुत्र स्व0 शिव नारायण निवासी ग्राम बैर थाना राठ, जिला हमीरपुर।
4. अशोक कुमार पुत्र रामदास कुमार निवासी ग्राम बैर थाना राठ, जिला हमीरपुर।

अपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0-586/2024 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना बीटा-2, ग्रेनो गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0-598/2024 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना बीटा-2, ग्रेनो गौतमबुद्धनगर।

3. मु0अ0सं0-14/2025 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना बीटा-2, ग्रेनो गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0-41/2025 धारा 305/317(2) बीएनएस बीटा-2, ग्रेनो गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0-48/2025 धारा 317(2) बीएनएस व 4/25 ए.एक्ट बीटा-2, ग्रेनो गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. एक एयर कंडीश्नर
2. पाजेब एक जोडी, तीन सैट बिछुओं के (कुल 09 नग) व 7,000 रूपये नकद
3. दो पासपोर्ट व एक बैंक की पासबुक, एक आईडी कार्ड, एक फोरैक्स कार्ड
4. भारतीय मुद्रा 524 रूपये एवं भूटानी मुद्रा 113 रूपये
5. 02 हाथी की मूर्ती चाँदी की
6. 07 अंगुठी (03 सोनी की एवं 04 चाँदी की नग जडित)
7. 07 जोडी कुण्डल व टोप्स सोने के नग जडित
8. 04 आर्टिफिशियल नगजडित गले के सेट व 01 मोती की माला
9. 02 जंजीर जडित मांथे का टीके
10. 01 हाथ का कंगन सोने का नग जडित
11. 01 गिलास व 01 कटोरा चाँदी के
12. 03 घडियाँ (एक टाइटन, एक सोनाटा व एक हैलो केटी)
13. 02 जोडी पेन्ट-शर्ट का कीमती कपडा, एक सॉल, एक बेल्ट, एक कम्बल
14. एक पेन (मारूति सुजकी कम्पनी का)
15. एक इलेक्ट्रॉनिक हेयर ड्रायर पेनासोनिक कम्पनी
16. एक आटो (टैम्पो) रजिस्ट्रेशन नम्बर यूपी 16 एम.टी 4777 घटना में प्रयुक्त
17. एक हथौडी, एक लोहे का पाइप व एक छैनी घटना में प्रयुक्त

2. थाना सेक्टर 20 पुलिस द्वारा, फ्री गिफ्ट वाउचर देने व लुभावने ब्रांडेड 5 स्टार/4 स्टार होटल मे रुकवाने व मेम्बरशिप लेने के नाम पर धोखाधडी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक फार्च्यूनर कार, 01 सैमसंग मोबाइल व 4100 रूपये बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **01.02.2025** को **थाना सेक्टर-20** नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये फ्री गिफ्ट वाउचर देने व लुभावने ब्रांडेड 5 स्टार/4 स्टार होटल मे रुकवाने व मेम्बरशिप लेने के नाम पर धोखाधडी करने वाला अभियुक्त शेखर चौधरी पुत्र ओमवीर चौधरी को लाल पैथ लैब सेक्टर 18 के पास से **गिरफ्तार** किया है।

अभियुक्त का विवरण--

1. शेखर चौधरी पुत्र ओमवीर चौधरी निवासी ए 5/1404 चैरी काउन्टी ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर वर्तमान पता ग्राम मीरपुर थाना पिसावा जिला अलीगढ उम्र 33 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 413/2024 धारा 420/467/468/120बी भादवि थाना सेक्टर-20 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. एक फार्च्यूनर कार रजि0 नम्बर यूपी 16 डीई 1001
2. एक मोबाइल
3. 4100 रुपये (जामातलाशी में बरामद)